न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 07/2021 आवन्टन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाडा

–प्रार्थी

बनाम

1. शांतिलाल नंदराम पिता बंशीलाल धन्नीबाई पत्नी बंशीलाल धर्मराज नारायण सांवरा शंकर पुष्पा पिता अमरचंद लक्ष्मी (नाबालिग) पुत्री अमरचंद ववि. माता विमला पत्नी अमरचंद ढोली निवासीयान लक्ष्मीपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 (अ) राजस्थान मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना नियम 1968 बाबत आवंटन निरस्तीकरण

उपस्थित –
1. राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 15.06.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 (अ) राजस्थान मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना नियम 1968 विपक्षी के विरूद्ध प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम गणेशपुरा की आ.न. 228, 346 कुल रकबा 1.11 बीघा भूमि को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी अधिवक्ता की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया। दौराने बहस विपक्षी अधिवक्ता उपस्थित नहीं। प्रकरण में राजकीय अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गयी।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम गणेशपुरा की आ.न. 228, 346 कुल रकबा 1.11 बीघा भूमि को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

(अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि ग्राम गणेशपुरा के आ.न. 228, 346 कुल रकबा 1.11 बीघा भूमि मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं हैं। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नही की गयी है। उक्त विवेचन अनुसार आवंटी द्वारा भू आवंटन नियम 1968 की पालना नहीं की जाना स्पष्ट होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 17 (अ) राजस्थान मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना नियम 1968 स्वीकार योग्य ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 17 (अ) राजस्थान मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना नियम 1968 बाबत् भू–आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार कर विपक्षी के नाम आवंटित ग्राम गणेशपुरा के आराजी नं. 228, 346 कुल रकबा 1.11 बीघा भूमि आवंटन को खारिज किया जाता हैं एवं तहसीलदार बनेडा को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम गणेशपुरा की आ.न. 228, 346 कुल रकबा 1.11 बीघा भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बनेडा को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा